प्रश्न - 1

(i) शिक्षा का अधिकार (Right to Education)

उत्तर

परिचय :- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में यह कहा गया था कि राज्य संविधान के लागू होने के 10 वर्षों के अंदर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा।
क्योंकि उस समय अभी शिक्षा का स्तर बहुत नीचा था, कई बालक ऐसे थे जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। राज्य सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया था क्योंकि शिक्षित नागरिक ही किसी भी देश के कल्याण का आधार होते हैं।

शिक्षा का अधिकार → दिसम्बर 2002 में केन्द्र सरकार ने संविधान में 86 वां संशोधन करके अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, इसके अंतर्गत 6 - 14 वर्ष तक सभी बच्चों "निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा" उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया इस अधिनियम को ही "शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009" कहते हैं
सरकार ने इसे 1 अप्रैल 2010 से सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया

शिक्षा का अर्थ :- शिक्षा वह साधन है जो मनुष्य को समाज में प्रतिष्ठा व सम्मान दिलवाती है।

महात्मा गांधी के अनुसार ("सच्ची शिक्षा वह है जिसके माध्यम से मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो")

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार उद्देश्य

शिक्षा का अधिकार के उद्देश्य निम्नलिखित है :-

(i) सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करना → इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सभी वर्गों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा उपलब्ध करवाना था आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर सभी को शिक्षित करना था।

(ii) प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण → RTE का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना था जिसके अंतर्गत 6-14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना था।

(iii) साक्षरता दर को बढ़ाना → RTE के अंतर्गत सभी बालकों को शिक्षित कर भारत में साक्षरता दर को बढ़ाना अहम उद्देश्य था। क्योंकि उस समय शिक्षित लोगों की संख्या बहुत कम थी।

(iv) शिक्षा के प्रति रुचि को बढ़ाना → यह कानून बनने से पहले बहुत लोग ऐसे थे जिनको सही अर्थों में शिक्षा का महत्व पता ही नहीं था

इसलिए वे शिक्षा के प्रति रुचि नहीं लेते है।
जब RTE लागू हुआ तो कई बालक इसके प्रति रुचि लेने लगे

शिक्षित समाज की स्थापना करना → RTE का मुख्य उद्देश्य एक शिक्षित समाज की स्थापना करना था क्योंकि उस समय लोगों के सामने कई प्रकार की समस्या थी जिसके कारण मे अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने मे असमर्थ थे जब यह अधिनियम शुरू होता है तो अधिकतर बच्चों ने विद्यालयों मे प्रवेश लेना शुरू कर) जिससे वे एक योग्य नागरिक बन सके।

(ii) लोकतंत्र एवं शिक्षा
(Democracy and Education)
उत्तर

लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा

अर्थ :- हिंदी भाषा का जनतन्त्र शब्द दो शब्दों जन और तंत्र से मिलकर बना है। इस प्रकार जनतंत्र का है "जनता का शासन"

दूसरे शब्दों में "जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन लोकतंत्र कहलाता है।

अब्राहम लिंकन के अनुसार, "लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है लोगों का शासन, लोगों द्वारा लोगों के लिए होता है।"

सीले के अनुसार "जनतन्त्र वह सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है।"

लोकतंत्र के लिए शिक्षा की आवश्यकता

लोकतंत्र के स्तर को अधिक ऊँचा उठाने के लिए शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में लोकतंत्र का समावेश अभी कुछ वर्षों पूर्व ही हुआ है
इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के प्रमुख अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री जॉन डीवी है।
शिक्षा को एकमात्र ऐसा माध्यम है मनुष्य को समाज में अपनी पहचान बनाने व सफलता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है शिक्षित व्यक्ति ही अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होता है अशिक्षित जनता अपने अधिकारों को नहीं समझ पाती तो समाज में सत्ताधारियों का वर्ग उनका शोषण करने लगता है।

लोकतंत्र और शिक्षा के उद्देश्य :- लोकतंत्र और शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

(i) व्यक्तित्व का विकास → (Development of Personality) जनतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का महत्व होता है वह देश का महत्वपूर्ण अंग होता है जनतंत्र का मुख्य उद्देश्य यह ही यह होता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का

सम्पूर्ण विकास हो। शारीरिक, मानसिक व नैतिक से ही एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है।

(ii) व्यवसायिक कुशलता का विकास (Democratic Citizenship development)

लोकतंत्र और शिक्षा के माध्यम से ही एक अच्छे नागरिक की प्रेरणा विकसित होती है। देश में वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है। देश को जिसके लिए उत्तम तकनीकी का प्रशिक्षण देना चाहिए। शिक्षित व्यक्ति ही व्यवसायिक कार्यों में आगे होता है। जो सभी नियमों का पालन करता है।

(iii) देशभक्ति की भावना का विकास (Development Patriotism feeling)

जब लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं वे शिक्षित होते हैं तो उन्हें अपने देश की प्रति अधिक प्रेम हो जाता है। शिक्षा ही बालकों में देशभक्ति की भावना का विकास करती है।
विद्यार्थियों को शुरु से ही यह शिक्षा देनी चाहिए कि वे अपने राष्ट्र के ही नहीं वरन पूरे विश्व के नागरिक हैं।

(iv) धार्मिक सहिष्णुता का विकास (Development Religious tolerance)

हमारे देश में विभिन्न जाति व धर्मों के लोग कहते है कि हमारा धर्म अलग है इसलिए इन सभी को अपने-अपने धर्मों को मानने की परम्परा है। देश में सभी व्यक्तियों को किसी अन्य व्यक्ति के धर्म की आलोचना नहीं करनी चाहिए क्योंकि यदि ऐसा होगा देश में साम्प्रदायिक दंगे व हिंसा का जन्म हो जाता है जो प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा नहीं होता है।

(iii) त्रिभाषा सूत्र (three language formula)

उत्तर

प्रस्तावना - भारतीय संविधान की धारा 343 के अनुसार हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है इसकी लिपि देवनागरी है राष्ट्रीय भाषाओं में यह मौलिक सिद्धांत माना गया की सभी भाषाएं राष्ट्रीय है। उस समय त्रि-भाषा सूत्र संविधान में नहीं था सन 1956 अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने इसे मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में रखा। मुख्यमंत्रियों ने इसका अनुमोदन भी कर दिया 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका समर्थन भी गया।

सूत्र का प्रतिपादन 1956 - देश की आवश्यकताओं के आधार पर 1956 में केंद्रिय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सर्वप्रथम त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया जो इस प्रकार था

(i) मातृ भाषा या क्षेत्रीय भाषा
(ii) अंग्रेजी या अन्य आधुनिक भाषा
(iii) हिंदी भाषा या अन्यआधुनिक भारतीय भाषा

कोठारी आयोग द्वारा प्रतिपादित त्रि - भाषा सूत्र

कोठारी आयोग ने त्रि भाषा के सूत्र का अध्ययन किया। उनके अपने अनुसार त्रि - भाषा सूत्र में कई परिवर्तनों का सुझाव दिया आयोग ने यह स्पष्ट किया कि अहिंदी क्षेत्रों के बालकों पर हिंदी का अध्ययन करने का बोझ नहीं लादा जाएगा उनको जबरदस्ती इसके लिए उत्साहित नहीं किया जाएगा। इसका अध्ययन अनिवार्य न होकर ऐच्छिक होगा।

आयोग ने जो प्रतिपादित किया वो इस प्रकार था

(i) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा,
(ii) संघ की राजभाषा
(iii) एक आधुनिक भारतीय या विदेशी भाषा

कोठारी आयोग ने भाषाओं के अध्ययन के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए

(i) निम्न प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से कक्षा 4) → एक भाषा – मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा।

(ii) उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 5 से कक्षा 7) → दो भाषाएँ
→ (a) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा
→ (b) हिंदी या अंग्रेजी।

(iii) माध्यमिक स्तर → माध्यमिक स्तर पर तीन भाषाएँ हैं
→ (a) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा,
→ (b) हिंदी अथवा अंग्रेजी
→ (c) अन्य भारतीय भाषा हिंदी के अतिरिक्त

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस त्रिभाषा सूत्र को लागू करने पर बल दिया गया परंतु इसको पालन सभी क्षेत्रों में नहीं किया जा रहा है प्रत्येक क्षेत्र में भाषा की स्थिति अलग-अलग होती है हमारे देश में भाषा से संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं पाया गया है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में भाषा का मुद्दा एक जटिल समस्या है। इसके समाधान के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

(iv) शिक्षा और संविधान (Constitution and Education)

उत्तर

संविधान :- किसी भी राष्ट्र में राष्ट्र के दर्शन को मार्गदर्शक के रूप में निर्धारित करने के लिए उस राष्ट्र का अपना संविधान होता है।

यह संविधान राष्ट्र की अखंडता और उनके हितों की रक्षा करता है। भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान 1976 में 42 वें संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तब से शिक्षा की व्यवस्था करना केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है।

भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान निम्नलिखित है :-

(i) शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया।

भारत में वर्तमान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है जिससे अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करना केंद्र व राज्य दोनों की जिम्मेदारी है। इसी के आधार पर विभिन्न शैक्षिक संगठनों का गठन किया गया जैसे :- U.G.C., C.B.S.E.

इसी प्रकार केंद्र स्तर पर कोई शैक्षिक आयोग बनाती है तो सरकार वित्तीय व प्रशासनिक सहायता प्रदान करती है।

(ii) निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा :- 2002 में 86 वें संशोधन के अनुसार 21A जोड़ा गया जिसके

अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य तथा नि: शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का सावधान किया
इस दिशा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी अहम भूमिका निभाता है।

(iii) स्त्री शिक्षा की व्यवस्था → संविधान के अनुच्छेद 15(3) में यह व्यवस्था की गई राज्य की सभी स्त्रियों को समान शिक्षा उपलब्ध की जाए उनको शिक्षित किया जाए जिससे वे अपने अधिकारों को पहचान सके।

(iv) सभी वर्गों के लिए शिक्षा → संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा सर्वत्रथम छुआ-छूत को समाप्त किया गया अनुच्छेद 46 में यह व्यवस्था कि गई राज्य जनता के कमजोर वर्गों अनुसूचित जाति व जनजाति सभी को समान स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने का सावधान किया गया

(v) अल्पसंख्यकों की शिक्षा → संविधान के अंतर्गत सभी वर्गों के लोगों को समान शिक्षा उपलब्ध कराई गई किसी भी अल्पसंख्यक को शिक्षा व उसके अधिकारों से वंचित नहीं रखा जाएगा। उनको संपूर्ण सुरक्षा की बात कही गई।

(vi) शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के समान अधिकार → संविधान के अनुच्छेद 29(2) में यह व्यवस्था कि गई राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी नागरिक को मूल वंश व जाति के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा यदि कोई संस्था ऐसा करती है तो यह कानूनी अपराध होगा।

Unit I

प्रश्न - 3

शिक्षा और मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों के संबंधों में विभिन्न अनुच्छेदों का वर्णन कीजिए

उत्तर

मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

भारतीय संविधान में निहित वे अधिकार जिनके माध्यम से भारतीय नागरिकों को उनके व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास सुखी जीवन व्यतीत करने एवं शोषण से बचाने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है।

परिभाषा :- "वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मूल समझे जाते हैं। मौलिक अधिकार कहलाते हैं।"

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। संविधान लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। ये अधिकार जहां व्यक्ति को स्वतंत्रता देते हैं वहीं नियंत्रण भी रखते हैं

भारतीय संविधान में नागरिकों को निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान में ये मूल अधिकार वे सन 1978 में 44 वें संशोधन द्वारा संपत्ति के

अधिकार को निकाल दिया गया।

अब संविधान में 6 मूल अधिकार रह गए हैं।

मौलिक अधिकार

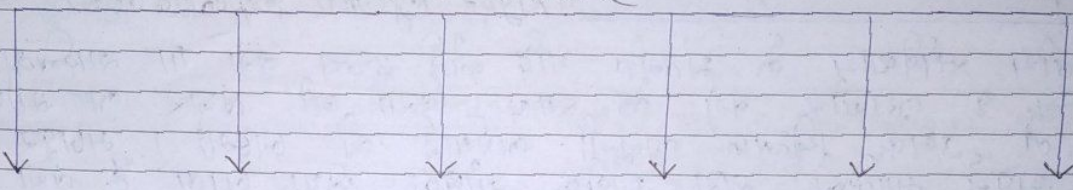

समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) | स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22) | शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24) | धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28) | संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30) | संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

(i) समानता का अधिकार (Right to Equality) अनुच्छेद (14-18)

भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है जिससे भारतीय समाज में व्याप्त विषमताओं को दूर किया जा सके। सभी व्यक्तियों को धर्म जाति व लिंग के आधार पर समान दर्जा प्राप्त होना चाहिए कोई भी किसी भी वर्ग के लोगों के साथ असमान भाव प्रकट नहीं करेगा। कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे।

(ii) स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom) अनुच्छेद (19-22)

भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का दर्जा दिया है अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की पाबंदी का पालन

नहीं कर सकता प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए स्वतंत्र है। स्वतंत्रता एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत नागरिकों को पूजा, सोचने, अभिव्यक्ति आदि का अधिकार होता है।

(iii) शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation) अनुच्छेद (23-24)

भारतीय संविधान के अंतर्गत यदि कोई उच्च वर्ग या शक्तिशाली व्यक्ति निम्न व कमजोर वर्ग के साथ किसी भी प्रकार का शोषण करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाई की जाएगी। मजदूर वर्ग का अपने मालिकों द्वारा अधिक शोषण किया जाता है तथा उन्हें मनमानी वेतन दिया जाता है।
इसके अतिरिक्त बाल मजदूरी भी शोषण के अंतर्गत आती है अर्थात किसी भी प्रकार के शोषण को इस गैर कानूनी माना गया है।

(iv) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion) अनुच्छेद (25 - 28)

भारत में विभिन्न धर्मों व जाति के लोग रहते हैं भारत विभिन्नता से भरा हुआ है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है संविधान संविधान में संविधान व्यक्तियों को अपना धर्म मानने का अधिकार है कोई भी किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्थलों पर पूजा की स्वतंत्रता है।

(v) संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद (29-30)
(Cultural and Educational Rights)

भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है जिसमें विभिन्न धर्म, सम्प्रदाय के लोग रहते हैं तथा सभी अपनी भाषाएँ बोलते हैं। धर्म

को शिक्षा, शिक्षा संस्थान होनी चाहिए
किसी भी धर्म के लोगों को शिक्षा वंचित नहीं रखा जा सकता है। सभी व्यक्तियों को अपनी संस्कृतियों को बनाए रखने का अधिकार। अल्पसंख्यकों को भी उनके अधिकारों से कोई वंचित नहीं रख सकता है। समाज में रह रहे सभी व्यक्तियों को शिक्षा ग्रहण करने का समान अधिकार है।

(vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)
अनुच्छेद 32

सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में इस अधिकार को शामिल किया गया है
(i) बन्दी प्रत्यक्षीकरण (ii) प्रतिषेध (iii) परमादेश (iv) उत्प्रेषण
(v) अधिकार पृच्छा

नागरिकों के मूल कर्तव्य (Basic duties of Citizens)

मूल कर्तव्य :- भारतीय संविधान ने जहां अपने अधिकारों को कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं वहीं दूसरी ओर नागरिकों से राष्ट्र की उन्नति में सहायक कुछ मूल कर्तव्यों की अपेक्षा भी की है

परिभाषा → "भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों से राष्ट्र की उन्नति में सहायक अपेक्षित कर्तव्यों को भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कहते हैं।"

भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य → आज के समय में लगभग सभी देशों में संविधान में अपने नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया। ऐसे में देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह देश के संविधान में दिए गए कर्तव्यों का हमेशा अपने जीवन में पालन करता रहे

भारत के संविधान की बात करे तो इसका निर्माण कार्य 9 दिसम्बर 1946 से आरंभ किया गया था तथा इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया है

वास्तव में हमारे संविधान में केवल मौलिक अधिकारों को ही शामिल किया गया था किंतु सन् 1976 में 42 वे संविधान संशोधन में अनुच्छेद - 51 (A) में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 2001 में एक और मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया
इस प्रकार वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्य समाहित है।

(i) अनुच्छेद - 51 (A) → इस संविधान के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया संविधान के आदर्शों, संस्थाओं राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करें।

(ii) अनुच्छेद - 51 (B) → स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करें।

(iii) अनुच्छेद - 51 (C) → भारत की एकता अखंडता व संप्रभुता की रक्षा करना व उसे बनाए रखना।

(iv) अनुच्छेद-51(D) → इस अनुच्छेद के अंतर्गत देश की रक्षा करना तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना।

(v) अनुच्छेद 51(E) → भारत के सभी नागरिकों में एक दूसरे के प्रति समानता व भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा पर आधारित भेदभाव से परे हो ऐसी तथाओं का विरोध करे जो स्त्रियों का शोषण करें।

(vi) अनुच्छेद-51(F) → अपनी संस्कृति को समझना व उसके गौरव को बनाए रखना।

(vii) अनुच्छेद-51(G) → प्राकृतिक पर्यावरण, जिनके अंतर्गत वन, झील, नदी व वन्य जीव आते हैं उनकी रक्षा करना

(viii) अनुच्छेद-51(H) → वैज्ञानिक तथा मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाकर सुधार की भावना का विकास करना मूल कर्तव्यों में शामिल है।

(ix) सार्वजनिक संपत्ति को हानि न पहुँचाए व हिंसा से दूर रहें।

(x) व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उन्नति करने का निरंतर प्रयास करें, जिससे राष्ट्र नई ऊँचाइयों को छू सके।

(xi) माता-पिता व अभिभावक के रूप में 6-14 वर्ष के बच्चों अथवा आश्रितों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना।

मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएँ

* मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नैतिक और नागरिक दोनों ही तरह के कर्तव्य शामिल होते हैं उदाहरण के लिए स्वतंत्रता के लिए संघर्ष नैतिक कर्तव्य है जबकि राष्ट्रगान का आदर नागरिक कर्तव्य है।
* कुछ मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ - साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, लेकिन मौलिक कर्तव्य सिर्फ अपने देश के नागरिकों को प्राप्त होते हैं।
* मौलिक कर्तव्य गैर न्यायिक होते उनके उल्लंघन के मामले में सरकार द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता
* संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य भारतीय परंपरा, कथाओं व धर्म से संबंधित होते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion) :- मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों का वर्णन करके हमें बहुत जानकारी प्राप्त हुई है अधिकार व कर्तव्य दोनों राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाने का माध्यम है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए तथा इनका पालन करना चाहिए, हमारे कर्तव्य व अधिकार सिर्फ पढ़ने लिखने व सुनने के लिए नहीं बनाए गए हैं हमें अपने जीवन में इनका पालन करना चाहिए तथा अपने मन में राष्ट्र हित व देश भक्ति की भावना विकसित करनी चाहिए। कई व्यक्ति अधिकारों से वंचित रहते हैं क्योंकि वे इनके बारे नहीं जानते हैं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के लिए सर्वप्रथम शिक्षित होना बहुत जरूरी है।

Unit - II

प्रश्न - 5

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) 2005 क्या है? इसके उद्देश्य तथा आवश्यकता का वर्णन करें

उत्तर

परिचय (Introduction) → राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा भारत में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा 2005 में प्रकाशित किया गया चौथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा थी।
इस रूपरेखा में कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्यचर्या प्रस्तुत कि गई इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने व रटंत प्रणाली को खत्म करना था। तथा शिक्षा को बाहरी जीवन से जोड़ना था। इसके संबंध में NCERT की बैठक 6 दिन (14 - 19 जुलाई) तक चली।

NCF 2005 का विकास → NCF 2005 टैगोर के निबंध 'सभ्यता और प्रगति' से शुरू होता है बचपन में बालकों के लिए 'रचनात्मक भावना' और 'उदार खुशी' एक कुंजी है और इन दोनों को नासमझ समाज द्वारा अनदेखा किया जा रहा है उस समय 'यशपाल समिति' में भी बच्चों के बोझ को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

यशपाल समिति ने 15 जुलाई 1993 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति में लिखा को "बच्चे के लिए स्कूली बस्ते के बोझ से ज्यादा बुरा है, ना समझ पाने का बोझ"

पाठ्यचर्या की परिभाषा → विद्यालय में बालकों के सम्पूर्ण अनुभवों, अधिगम तथा पाठ्यक्रम आदि के योग को ही पाठ्यचर्या कहते है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के उद्देश्य → NCF के उद्देश्य इस प्रकार है :-
Objectives of NCF

(i) शिक्षा को बाह्य जीवन से जोड़ना → यह NCF का प्रमुख लक्ष्य था इसके अंतर्गत शिक्षा को सिर्फ स्कूली वातावरण में न रखकर उसको बाहरी जीवन से जोड़ना था। ऐसा इसलिए कहा गया था कि बालक शिक्षा को शिक्षा की तरह आसानी से ग्रहण करने में असमर्थ थे, लेकिन जब शिक्षा को बाहरी वातावरण के साथ जोड़ा गया विद्यार्थी इसके इच्छुक होने लगे। उनके जीवन को बाहरी वातावरण के साथ जोड़ना था। जिसे वह जल्दी से ग्रहण कर लेते थे।

(ii) रटन्त प्रणाली को समाप्त करना → NCF के अंतर्गत यह बात का विचार विमर्श किया था कि रटन्त प्रणाली को खत्म किया जाए इसके अंतर्गत बच्चे सिर्फ रट्टा लगाते थे —

(iii) सृजनात्मकता के लिए → सृजनात्मकता वह प्रक्रिया होती है जब बालक स्वयं की बुद्धि व विचारों की सहायता से कुछ नया कार्य करता है। पहले की शिक्षा सिर्फ पुस्तकों पर आधारित थी जिनमें बालक अपनी रुचि व कौशल को शिक्षक के सामने व्यक्त नहीं कर पाता है। NCF के अंतर्गत सृजनात्मकता की बात कही गई क्योंकि इसमें बच्चे बड़े आनंद के साथ कार्य करते हैं

(iv) बालक को योग्य बनाना → बालक को योग्य बनाना अति आवश्यक है क्योंकि बिना शिक्षा के कोई भी बालक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। एक शिक्षित व योग्य बालक ही एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक बन सकता है। NCF के अंतर्गत बालक को समाज के लिए योग्य बनाने की बात कही गई।

(v) वातावरण से सीखना → NCF के अंतर्गत शिक्षा को वातावरण से जोड़ने की बात कही गई, इसका उद्देश्य था कि पुस्तकों के अलावा बच्चों को ज्ञान वातावरण से ही दिया जाए वातावरण अनुकूल होने पर विद्यार्थी को ज्ञान अर्जित करने में सरलता होती है।

(vi) लोकतंत्र की भावना के लिए → एक शिक्षित व समझदार व्यक्ति ही समाज का व स्वयं का मूल्यांकन कर सकता है। NCF का उद्देश्य था की बोझ रहित शिक्षा प्रदान करके सभी बच्चों को शिक्षित किया जाए, एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज के मौलिक कर्तव्यों व अधिकारों को पालन कर सकता है। तथा अपने जीवन में सफल हो सकता है, बिना शिक्षा ग्रहण किए कोई भी व्यक्ति जानवर के समान होता है अतः हम सभी अपने अधिकारों को पहचान नहीं कर सकते हैं, अपने देश के प्रति देशभक्ति व लोकतंत्र की भावनाओं को समझ सकता है

NCF की आवश्यकता

(i) हाथों के ज्ञान को वातावरण से जोड़ना → NCF से पहले शिक्षा के केवल पुस्तकों पर ही आधारित थी जिसका समायोजन करना विद्यार्थियों के लिए बहुत कठिन समस्या थी ऐसी स्थिति में बच्चे सिर्फ किताबों को ही पढ़ते थे उसको समझने की कोशिश नहीं करते थे वे किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं करते थे। शिक्षा को जल्दी ग्रहण करवाने के लिए हाथों को बाहरी वातावरण के उदाहरण देने अनिवार्य थे।

(ii) शिक्षा को बोझ मुक्त करने के लिए → NCF शिक्षा प्रणाली को बोझ मुक्त कराना चाहती थी। यदि बालकों पर पुस्तकों का इतना बोझ होगा तो वह अधिगम के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं होंगे इसलिए शिक्षा को बोझमुक्त करने की बात कही गई शिक्षा को पुस्तकों के अलावा समाज से भी जोड़ा जाए।

(iii) शिक्षक प्रशिक्षण → NCF का मुख्य उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार करना था क्योंकि शिक्षक किसी भी देश के निर्माण में सहायक होते हैं विद्यालयों में शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाए जिससे उनमें आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास का विकास हो।

(iv) सृजनात्मक विकास के लिए → NCF के अंतर्गत शिक्षा को सिर्फ किताबों से न जोड़कर अन्य क्रियाकलापों के साथ जोड़ने की भी बात कही गई इसके द्वारा बच्चों की बुद्धि में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का आगमन होता है। उनके विचारों में भी परिवर्तन आता है। सृजनात्मकता बालकों में तब शुरू होती है जब उन्हें स्वयं कुछ क्रियाकलाप व विधियां करने के लिए कहा जाता है इस प्रकार के कार्य को बालक बड़े आनंद के साथ करते हैं।

कोई भी मनमानी तरीके से उनका शोषण कर सकता है।

NCF के सिद्धांत :- NCF के 5 सिद्धांत इस प्रकार है

(i) ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए।

(ii) पढ़ाई को रटन्त प्रणाली से मुक्त किया जाए।

(iii) पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित न रह जाए।

(iv) कक्षाकक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए।

(v) राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो।

निष्कर्ष (Conclusion)

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) का गठन होने पश्चात शिक्षा प्रणाली में कई प्रकार के परिवर्तन किए गए जिसने बच्चों को अधिक प्रभावित किया इस रूपरेखा ने रटन्त प्रणाली को खत्म किया। NCF के अनुसार भी बालक तभी पढ़ाई में रुचि ले सकता है अर्थात् शिक्षा ग्रहण करने के लिए तत्पर होता है जब इसने भय बोध को खत्म किया। शिक्षा के स्तर में वृद्धि तभी संभव थी जब पढ़ाई के साथ-साथ गतिविधियाँ भी शामिल हो इनके द्वारा बालक अपनी क्रिया तथा कौशलों में निपुण होता है NCF का प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत लाभकारी रहा इससे अनेकानेक बालक भी शिक्षा की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने लगे।

Unit - III

प्रश्न - 7

आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है? इसके के क्षेत्र में इसके विभिन्न लाभ व हानियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर

आधुनिकीकरण का अर्थ → आधुनिकीकरण बदलते परिवेश के अनुसार समाज, अर्थ एवं राजनीति के परिवर्तन की प्रक्रिया है।

शिक्षा ही वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्यों के विचारों तथा व्यवहारों में परिवर्तन आता है आधुनिकीकरण ने नि: शुल्क शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी, आर्थिक विकास तथा तात्कालिक संसाधन आदि तत्वों का शिक्षा में समावेश किया है।

"वर्तमान में शिक्षा व्यक्ति के सम्पूर्ण विकास का साधन मानी जाती है"

जो देश समय के साथ अपने को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं वे विशेष व्यवस्था से पिछड़ रह जाते हैं उनकी गिनती विश्व के पिछड़े देशों में होती है

शिक्षा एवं आधुनिकीकरण → शिक्षा एवं आधुनिकीकरण दोनों परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। ये दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। शिक्षा आधुनिकीकरण प्राप्त

करने में सहायक होती है तथा आधुनिकता से एक बेहतर शिक्षा का निर्माण होता है

* आयोगों एवं समितियों के अनुसार शिक्षा के आधुनिकीकरण

शिक्षा ही माध्यम से आधुनिकता प्राप्त करने का साधन प्राप्त होता है। आज के समाज में नवीन तथा पूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है। केवल उचित तरीके की शिक्षा ही उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है।
आधुनिकीकरण के द्वारा ही शिक्षा प्रणाली स्तर, पाठ्यक्रम एवं तकनीकी के प्रयोग से शिक्षा का आधुनिकीकरण हो गया है आधुनिकीकरण की शिक्षा के लिए भारतीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) आचार्य राम मूर्ति समिति ने शिक्षा प्रणाली में क्रांति कारी परिवर्तन लाने के संकेत दिए।

(i) शिक्षा को उचित दिशा प्रदान करना (Giving right direction to Education)

एक राष्ट्र या समुदाय को तकनीकी तथा आर्थिक प्रगति की प्राप्ति के बारे में सोचने से पहले लोगों को दी जाने वाली उचित शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचना चाहिए। खुशहाल जीवन जीने के लिए शिक्षा ही अनिवार्य अवस्था है

(ii) दृष्टिकोण में परिवर्तन (Change in Outlook)

शिक्षा व्यक्तियों समूहों तथा एक सम्पूर्ण व्यवस्था के रूप में राष्ट्र के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाती है तथा वस्तुओं घटनाओं व संस्थाओं के प्रति भी दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है वे अपने दर्शन का विकास तथा पालन

करते है।

(iii) सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों का विकास

आधुनिकीकरण को एक जीवन शैली बनाने के लिए सिर्फ संसाधन प्राप्त करने की ही आवश्यकता नहीं होती। शिक्षा को सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों से भी प्राप्त करना आवश्यक होता है आधुनिकीकरण से मनुष्य में सामाजिक व नैतिक विकास के मूल्यों में वृद्धि होती है।

(iv) विज्ञान तथा तकनीकी का प्रयोग (Applications of Science and technology)

शिक्षा से संबंधित जीवन के प्रत्येक क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में तकनीकी के बल पर प्रयोग होना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। बढ़ते आधुनिकीकरण के साथ शिक्षा में भी नई-नई तकनीकों का प्रयोग हो रहा है। शिक्षा से संबंधित सभी कार्य आज तकनीकों के माध्यम से हो रहे है।

(v) विद्यालयों की स्थिति में सुधार (Improvement in School System)

आधुनिकीकरण के समाज में लगभग सभी क्षेत्रों में सुधार हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों की स्थिति में नई तरह के सुधार हुए है। औद्योगिकरण व नगरीकरण के कारण विद्यालयों की स्थिति में सुधार हुआ है इसका लाभ विद्यालयों से संबंधित सभी मालिक व कर्मचारियों को हुआ है यह तकनीकी शिक्षा का ही परिणाम है जिससे विद्यालयों में कई तरह के परिवर्तन होने लगे जो शिक्षक व विद्यार्थी दोनों

के ही लिए उपयोगी व लाभकारी है।

शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लाभ :- आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन का ही रूप है जिसका लक्ष्य शिक्षा के माध्यम से अधिक से अधिक आर्थिक प्रगति व देश का विकास करना है। आधुनिकीकरण के लाभ निम्नलिखित है :-

(i) विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि (Increasment number of Students)

आधुनिकीकरण की गति में विभिन्न मूल्यों एवं मनोवृत्ति के कारण परिवर्तन हुए जिससे लोगों का शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है नई नई तकनीकों ने बालकों को शिक्षा की ओर आकर्षित किया है शिक्षा के महत्व व आवश्यकता को समझते हुए अधिक से अधिक बालकों ने विद्यालयों में प्रवेश लिये है नवीन तकनीकी कक्षा में तत्परता व अभिरुचि पैदा करती है आज विद्यालयों में नई - नई गतिविधियां कराई जाती है तथा तकनीकों के माध्यम से सभी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है।

(ii) विद्यालयों की संख्या में तीव्र वृद्धि (High increasment number of Schools)

औद्योगिकरण ने गाँव व शहर के बीच की दूरी को कम किया है जिससे छात्रों की संख्या निरन्तर बढ़ने लगी है। आधुनिकीकरण से सभी क्षेत्रों में विद्यालय बनवाए गए है तथा सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है शहरों के साथ - साथ गाँवों में भी नवीन विद्यालयों की स्थापना हुई है। लोगों के घर के नजदीक स्कूल उपलब्ध कराने से बच्चे आसानी से जाते है।

(iii) संचार साधनों की सुविधा (Facilities of mass media)

आधुनिकीकरण के माध्यम से कई प्रकार के संचार सुविधाओं में वृद्धि हुई है। नगरीकरण ने व्यक्तियों को शहर की आने के लिए प्रेरित किया। संचार तकनीकी के माध्यम से व्यक्ति आसानी से कहीं भी बैठ-बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए 'दूरस्थ शिक्षा प्रणाली' संचार माध्यमों की सुविधा से ही गाँवों के बालक बालिका शिक्षा प्राप्त करने लगे हैं।

(iv) विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा → आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया ने शिक्षा पाठ्यचर्या में तकनीकी व वैज्ञानिक विषयों की पाठ्यवस्तु को महत्व दिया जाता है आधुनिक शिक्षण विधियाँ तकनीकी उपकरणों पर आधारित है। इस तकनीकी के माध्यम से शिक्षकों की भूमिका जटिल हो जाती है। उसे अपने विषय के अलावा अन्य विषयों का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक माना जाता है।

(v) शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने में सहायक
(Helpful to Solve Educational Problems)

आधुनिकीकरण का शैक्षिक प्रभाव अधिक हो रहा है आधुनिकीकरण का उद्देश्य शैक्षिक स्तर में अधिक वृद्धि करने से है। आधुनिकीकरण के अंतर्गत कई प्रकार की तकनीकी आई जिनसे कई प्रकार की शैक्षिक समस्याओं को दूर किया गया। जब विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वह इंटरनेट के माध्यम से उस समस्या का हल

कर लेते है।

शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की हानियाँ - जहाँ आधुनिकीकरण से राष्ट्र एवं समाज को नई दिशा मिलती है। वहीं दूसरी ओर इसकी कुछ हानियाँ भी हैं।

(i) परम्परागत आदर्शों व मूल्य की क्षति इस आधुनिक युग में → व्यक्ति इतना प्रभावित हो गया है कि वह अपने आदर्शों, मूल्यों व कर्तव्यों को भूल चला जा रहा है। यह सत्य बात है कि आधुनिकीकरण के इस युग में व्यक्ति अपने आदर्शों को न जाने कहाँ भूल गया है। इससे छात्र इतने प्रभावित हो चुके हैं कि वे एक-दूसरे का सम्मान व संस्कृति का आदर करना भूल गए हैं। संस्कृति तो न जाने कहा गायब हो गई। कितने व्यक्ति अपनी परम्पराओं व आदर्शों को भूल चुके हैं तथा दूसरे देश की संस्कृतियों को अपना रहे हैं।

(ii) सामाजिक व नैतिक मूल्यों की अवहेलना → आधुनिकीकरण की एक हानि यह भी है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सामाजिक व नैतिक मूल्यों की अवहेलना करने लगता है। आधुनिकीकरण से छात्र इतने प्रभावित हो चुके हैं कि वो सामाजिक कर्तव्यों को ही भूल गए हैं आधुनिकीकरण समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अपने पैर पसार चुका है कुछ इस प्रकार के लोग भी है जो इसको अपनाते हैं लेकिन नैतिक मूल्यों को भी अपनाते है क्योंकि वे जानते हैं कि नैतिकता प्रत्येक सफल व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है

(iii) छात्रों की अधिगम शक्ति में कमी → आधुनिकीकरण के इस दौर में छात्र मीडिया व अन्य संचार के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार की शिक्षा वे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं लेकिन उनकी स्वयं विचार, विमर्श व चिंतन शक्ति का स्तर नीचे आता जाता है। छात्रों के मन में यह विचार आते हैं कि जब यह कार्य मैं संचार के माध्यम से कर सकता हूँ तो स्वयं क्यों विचारों का आदान - प्रदान करूं। अधिगम का स्तर नीचे चला जाता है। छात्र आत्मनिर्भर बनना नहीं चाहता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के माध्यम से यह पता चलता है कि आधुनिकीकरण ने शिक्षा को सरल बना दिया वहीं कहीं न कहीं कुछ सीमाएँ भी है। शिक्षा के क्षेत्र में कई परिवर्तन हुए शिक्षा स्तर में सुधार हुआ आधुनिकीकरण उन्नति का परिचायक तो है परन्तु इसके नियंत्रित व नियोजित करने में विशेष योगदान वांछनीय है।
इस प्रक्रिया से जहाँ देश शक्तिशाली व आत्मनिर्भर हो रहे हैं वहीं दूसरी ओर उनकी शक्ति क्षीण भी होती चली जा रही है। शिक्षा का क्षेत्र ही बल्कि अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं। आधुनिक समय में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि विद्यालयों की व्यवस्था में सुधार तथा विद्यालयों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। नकारात्मक प्रभाव ही ये हुए है कि बच्चे अपने आदर्शों मूल्यों व नैतिक कर्तव्यों को भूल रहे है। संस्कृतियों का नाश हो रहा है।

Unit - 4

प्रश्न - 1

असमानता की अवधारणा क्या है ? प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक समय में शिक्षा की असमानताएँ बताइये।

(उत्तर)

असमानता की परिभाषा → आक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, "असमानता का अर्थ असमान होने की स्थिति या समानता का अभाव है"

अथवा

अपने शब्दों में "असमानता वह स्थिति होती है जहाँ व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त नहीं कराए जाते हैं।"

असमानता की अवधारणा → असमानता का अर्थ, व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए समान अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं असमानता ने सामाजिक दूरी को बढ़ाया है लोगों में जाति, भाषा व लिंग के आधार पर भेदभाव करना ही असमानता कहलाता है विषमता से अभिप्राय एक समाज के व्यक्ति के जीवन अवसर में जीवन शैली की विभिन्नताओं से है। अमीरी व गरीबी मालिक तथा नौकरों के बीच असमानता की गहरी खाई पायी जाती है

आन्द्रे बेले का मानना है कि "आधुनिक जगत का महान विरोधाभास यह है कि हर स्थान पर मनुष्य अपने को समानता के -

सिद्धांत का समर्थक बताते हैं और हर स्थान पर असमानता की स्थिति का सामना करते हैं।

* प्राचीन काल में शिक्षा में असमानता (Inequalities in Ancient Education)

प्राचीन बहुत पुराने समय को कहा गया है प्राचीन काल में भी शिक्षा थी लेकिन उस समय शिक्षा का दूसरा स्वरूप था। प्राचीन काल में यदि वैदिक काल को छोड़ दिया जाए तो उसके पश्चात से भारतीय समाज में शिक्षा व्यवस्था में कभी भी समानता नहीं रही। प्राचीन काल में राजतंत्र प्रणाली थी जिसमें समान शिक्षा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। राजतंत्र प्रणाली में राजा अपनी मनमानी करते थे वे लोगों के साथ असमानता रखते थे।

उत्तर वैदिक काल में समाज चार वर्णों में विभाजित हो गया था। चारों वर्णों के कार्य एवं शिक्षा व्यवस्था का निर्धारण हो गया था।

(i) ब्राह्मण
(ii) क्षत्रिय
(iii) वैश्य
(iv) शूद्र

(i) ब्राह्मण → ब्राह्मणों को प्रथम वर्ण में रखा गया था। ब्राह्मणों का मुख्य कार्य समाज में शिक्षा प्रदान करना था। इसलिए इन्हें चारों वेदों की शिक्षा तथा पुरोहित कार्य करने वाले ब्राह्मणों को धार्मिक शिक्षा भी प्रदान की

(ii) क्षत्रिय → क्षत्रिय वर्ग का प्रमुख कार्य राज्य व समाज की रक्षा करना था। इसलिए इन्हें अस्त्रों शस्त्रों का प्रशिक्षण दिया जाता था।

(iii) वैश्य → वैश्य वर्ग का कार्य व्यापार वाणिज्य की शिक्षा प्रदान करना था, तथा साथ ही विभिन्न भाषाओं व विधियों की शिक्षा प्रदान की जाती थी।

(iv) शूद्र → यह समाज का सबसे निम्न वर्ग था, इसे मुख्य कार्य समाज के सभी वर्गों की सेवा करना था। इनके लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी।

* मध्यकालीन काल में शिक्षा → मध्यकाल में शिक्षा को प्रचलित करने तथा सभी को प्रदान व समान अवसर उपलब्ध कराने की बात कही गई।

(i) सभी के लिए समानता → इस नई व्यवस्था में सभी को समानता का दर्जा दिया गया तथा सामाजिक रूप से सभी को बराबर समझा गया, किसी भी वर्ग के साथ असमान व्यवहार नहीं होता था।

(ii) समान शिक्षा प्रणाली → इस प्रणाली में सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए गए, लेकिन यह प्रणाली केवल कुछ लोगों तक ही सीमित थी।

(iii) हिंदू धर्म की अनदेखी → शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध होने के बाद इस शिक्षा व्यवस्था में हिंदुओं की अनदेखी की जा रही थी। शिक्षा का माध्यम अरबी व फारसी था संस्कृत व अन्य भाषाओं की अनदेखी की जा रही थी, सभी भारतीयों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। उनके पास राजनीतिक व प्रशासनिक शक्ति न होने के कारण अधिकार प्रदान नहीं थे।

* **आधुनिककाल में शिक्षा में असमानता (Inequalities in modern Education**

स्वतंत्रता पूर्व व पश्चात भी भारतीय राजनीति समाज एवं शिक्षा मे व्यापक रूप से असमानता विद्यमान है। जबकि भारतीय संविधान मे प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार व कर्तव्य प्रदान है। परन्तु वास्तविक स्थिति इससे भिन्न है क्योंकि भारतीय समाज हजारों साल की गुलामी के बाद समानता के सिद्धांत को नहीं समझ पा रहा है।
शिक्षा व्यवस्था मे प्रवेश, शुल्क व भोजन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी व्यापक रूप से असमानता विद्यमान है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समाज का उच्च वर्ग सभी प्रकार की महंगी शैक्षिक सुविधा व अन्य व्यवस्थाओं का फायदा लेते है किंतु गरीब तबके के लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते है।
महंगी सुविधाओं का फायदा लेना इनके लिए असंभव है।
इस आधुनिक काल मे शिक्षा के क्षेत्र मे व्यापक असमानता है, शिक्षा मे अमीर वर्ग आसानी से अपने बालकों को गुणात्मक शिक्षा दिलवाने के लिए निजी विद्यालयों मे प्रवेश करवाता है।

निष्कर्ष (Conclusion) → शिक्षा मे असमानता वह स्थिति होती है सभी वर्गों के लोगों को समान शैक्षिक सुविधाएं नहीं प्राप्त होती है, भारतीय समाज मे जाति, लिंग, व रंग का भेदभाव आज भी कहीं न कहीं प्रचलित है। इन असमानताओं का असर मानव की जीवन अवसर व जीवन शैली पर पड़ता है, इतिहास मे प्रत्येक काल मे व्यापक असमानता को देखा गया है तथा उसका वर्णन किया गया है। प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल तीनों मे विभिन्न प्रकार की असमानताओं को देखा गया है, यदि यह स्थिति वर्तमान मे भी प्रचलित रही तो संपूर्ण तौर पर किसी भी राज्य का विकास असंभव है।